10/एएस/2014-15/टीसी

भारत सरकार

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स

लोधी रोड़, नई दिल्ली - 110003

<u>प्रकाशकों के लिए परामर्शी (संख्या 1/2024)</u>

दिनांकः 12.01.2024

विषयः- प्रकाशनों के निष्क्रिय (डीफंक्ट) स्थिति से हटाने की कार्यविधि के संबंध में।

प्रकाशनों के निष्क्रिय स्थिति से हटाने के लिए कार्यविधि के संबंध में दिनांक 04.09.2023 एक परामर्शी (संख्या 1/2024) प्रकाशित की गई थी।

2. कई प्रकाशकों ने सूचित किया है कि उन्हे लाइसेंसिंग प्राधिकारी से दिनांक 04.09.2023 की परामर्शी के पैरा 3 (क) में यथा निर्धारित प्रकाशन निरंतरता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

3. प्रकाशकों हेतु इसे सुसाध्य बनाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली से बाहर के प्रकाशकों के लिए पीआईबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रकाशकों के लिए आरएनआई कार्यालय से प्राप्त प्रकाशन निरंतरता प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाएगें।

4. प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र का प्रपत्र **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

राजित चन्द्रन एम.आर.

उप प्रेस पंजीयक

<u>अनुलग्नक I</u>

प्रकाशन निरंतरता प्रमाण पत्र

(भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय की परामर्शी संख्या 1/2024 के अनुसार भौतिक प्रतियों की प्रस्तुति के आधार पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशन ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस कार्यालय में भौतिक प्रतियां प्रस्तुत की हैः-

1) पत्रिका का नाम :
2) आवधिकता :
3) आरएनआई पंजी. सं. :
4) स्वामी का नाम (मौजूदा) :
5) प्रकाशक का नाम (मौजूदा) :
6) प्रकाशक का मोबाइल नं. :
7) प्रकाशक की ईमेल आईडी :
8) प्रकाशन का स्थान (मौजूदा) :

जमा की गई भौतिक प्रतियों का ब्यौरा

वर्ष	आवधिकता के अनुसार प्रकाशित किए जाने वाले अंकों की संख्या	जमा किए गए अंकों की संख्या
2021		
2022		
2023		

अधिकारी का नाम :

पदनाम :

कार्यालय की मोहर :

दिनांक :

स्थान :